राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 151वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 27.12.2021 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 151वीं बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित की गई। जिसमें श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, अध्यक्ष, एसएलबीसी राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, रा.स., श्रीमती अर्पणा अरोडा, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, रा.स., श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास, रा.स., श्री भवानी सिंह देथा, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, रा.स., श्री सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव, श्री नवीन जैन, शासन सचिव आयोजना, रा.स., श्री आशुतोष एटी पेडनेकर, शासन सचिव, उद्योग, रा.स., डॉ ओम प्रकाश, आयुक्त, कृषि, रा.स., श्री महेंद्र पारख, आयुक्त, भू-प्रबन्धन, राजस्थान सरकार, श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री जयदीप श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री महेन्द्र सिंह महनोत, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री राजेश कुमार मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक एवं डॉ. मुकेश कुमार, महाप्रबंधक, एफ़आईडीडी भारतीय रिजर्व बैंक, श्री पुष्पहास पांडे, महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री आलोक सिंघल, सहायक महाप्रबंधक, एसएलबीसी, राजस्थान सहित राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

बैठक के प्रारम्भ में श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, अध्यक्ष, एसएलबीसी राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री जयदीप श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को विधिवत पुष्प गुच्छ (Bouquet) भेंट कर स्वागत किया ।

शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का व मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 151वीं बैठक एवं नाबार्ड की राज्य ऋण संगोष्ठि 2022-23 माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार की गरीमामयी उपस्थिति में आयोजित की जा रही हैं जो कि राज्य के आर्थिक विकास में मार्ग प्रर्दशन प्रदान करेंगी।

तत्पश्चात उन्होने संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान को स्वागत उद्बोधन हेतु अनुरोध किया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, अध्यक्ष, एसएलबीसी राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं सदन में उपस्थित प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा मंचासीन गणमान्य सदस्यों, उपस्थित बैंकर्स व अन्य सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

उन्होने एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की एवं राज्य के कुछ महत्वपूर्ण बैंकिंग बिन्दुओं के बारे में सदन को अवगत करवाया, जो निम्न प्रकार है:

- हमारे राज्य में सितंबर-21 तिमाही को बैंकों का साख जमा अनुपात (CD Ratio) 83.51% रहा है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित बेंचमार्क 60% से अधिक है। साथ ही हमारे पड़ोसी राज्यों हरियाणा (67.43%) एवं उत्तर प्रदेश (51.38%) से भी अधिक है।
- सितंबर-21 तिमाही को राज्य के बैंकों का कृषि ऋण का स्तर कुल ऋण का 29.77% रहा है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र दिशानिर्देशो के बेंचमार्क 18% से अधिक है।
- सितंबर-21 तिमाही को राज्य के बैंकों का "Weaker Section को ऋण" कुल ऋण का 14.65% रहा है को भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क 11% से ऊपर है।
- सितंबर-21 तिमाही तक राज्य के बैंकों द्वारा वार्षिक साख योजना के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के 52.19% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुके हैं जो कि आवंटित अर्द्ध-वार्षिक लक्ष्य 50% से ऊपर है। साथ ही इस वित्तीय वर्ष में वार्षिक साख योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को 125% तक प्राप्त करने हेतु सभी बैंकों से अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

- भारतीय रिजर्व बैंक व भारतीय बैंक संघ के निर्देशानुसार वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल भुगतान को बढावा देने के उद्देश्य से एसएलबीसी द्वारा आशान्वित जिलों में से करौली जिले को चिन्हित किया है। उक्त प्रोग्राम के तहत करौली जिले को निर्धारित समय सीमा में 100% डिजिटल रूप से सक्षम बनाने हेतु उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए देश की समस्त एसएलबीसी को एक या दो नए जिले 100% डिजिटाजेशन हेतु चयन करने के लिए निर्देश दिये गए है। उक्त निर्देश की अनुपालना में सभी हितग्राहियों से चर्चा करके दो नये जिले यथा **अजमेर** व **धौलपुर** का चयन 100% डिजिटाजेशन हेतु किया गया है।

तत्पश्चात **शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार** ने समिति के अध्यक्ष श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा को मुख्य उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी व सभी गणमान्य सदस्यों एवं सदस्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के अधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकें बैंकिंग क्षेत्र से संबन्धित नीतिगत मामलों पर चर्चा करने, विभिन्न मापदण्डों के तहत प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य के लिए योजनाएँ बनाने का अवसर प्रदान करती हैं।

उन्होने बताया कि कोरोना के नए variant omicron के खतरे के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा है और हम इस महामारी के दुष्प्रभावों से तेजी से उभर रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों को लागू करने के लिए बैंकों ने महामारी के दौरान भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी हम विभिन्न क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में अपना योगदान देना जारी रखेंगे। आज की इस बैठक में हम पिछली तिमाही के दौरान हुई प्रगति के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं और अभियानों के अंतर्गत हुई प्रगति पर भी चर्चा करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।

आज बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग अपनी परिचालनगत क्षमताओं, बेहतर speed और उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए digital transformation और innovation की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो state of the art technology पर आधारित है। बैंकों को समाज के वंचित वर्गों को Digital Ecosystem में लाने के लिए भी प्रयास करने होंगे।

उन्होने SLBC की पिछली बैठक के बाद हुई कुछ गतिविधियों पर प्रकाश डाला:

- स्वामित्व (SVAMITVA) योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी आवासीय संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना है। मैं सभी साथी बैंकरों से अनुरोध करता हूं कि वे ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए mortgage उद्देश्यों हेतु SVAMITVA संपत्ति कार्ड के उपयोग से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करें. मैं पंचायती राज और राजस्व विभाग, राज्य सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि वे इस योजना को लागू करने में बैंकों के साथ coordinate करें और अपना समर्थन प्रदान करें.

  (कार्यवाही : पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

- उन्होने बैंक और ऋण लाभार्थियों को बाधा रहित सामयिक बंधन (Equitable Mortgage) सृजित (create) करने की सुविधा प्रदान करने के लिए Transfer of Property Act की धारा 58 (F) के उद्देश्य से राजस्थान में सभी नगरनिगमों, नगरपालिकाओं और पंचायतों अर्थात सभी जिलों, शहरों, तालुका और गांवों को विनिर्दिष्ट (Notify) करने का राज्य सरकार से अनुरोध किया । चूंकि वर्तमान में Equitable mortgage केवल उन स्थानों/शहरों में create किया जा सकता है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है । अधिसूचना के बाद काफी शहरी क्षेत्र में परिवर्तन हो चुका है। संशोधन संबंधी इस सुझाव से न केवल लागत में कमी आएगी बल्कि इससे प्रक्रिया भी आसान और त्वरित हो जाएगी। इस संबंध में ऋण लाभार्थियों को हो रही मुश्किलों को दूर करने के लिए महाराष्ट्र, केरल और कुछ अन्य राज्यों ने यह संशोधन पहले ही कर दिया है।

  (कार्यवाही : मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, राजस्थान सरकार एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार)

- उन्होने बताया की हाल ही में 16 अक्टूबर, 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक त्यौहारी मौसम के दौरान Credit Outreach Campaign चलाया गया जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को अपेक्षित गति प्रदान करने के लिए कृषि, एमएसएमई और खुदरा ऋण योजनाओं में आमजन को उनकी जरूरत एवं पात्रतानुसार ऋण वितरित करने के लिए क्रेडिट आउटरिच कार्यक्रम आयोजित किए गए। एसएलबीसी, राजस्थान के तत्वावधान में राजस्थान राज्य में 6 मेगा कैंप आयोजित किए गए एवं विभिन्न जिलों में छोटे स्तर के क्रेडिट आउटरिच कार्यक्रम आयोजित किए गए । इस अभियान में सक्रिय प्रतिभागिता और जरूरतमंद ग्राहकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी बैंकों और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

- उन्होने बताया कि सभी परिवारों के पास बैंक खाता हो और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और पेंशन योजनाओं से जुड़ा हो, उक्त को संतृप्ति (Saturation) स्तर तक लाने के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये 2 अक्टूबर, 2021 से 30 सितंबर, 2022 तक "जन सुरक्षा योजनाओं के लिए संतृप्ति अभियान" वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया है। मैं सभी बैंकों से अनुरोध करता हूं कि समयबद्ध तरीके से लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ऐसे सभी ग्राहकों का नामांकन मिशन मोड में पूरा करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

- उन्होने बताया कि सभी पात्र किसानों को KCC योजना का लाभ मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 15 नवंबर, 2021 से 15 फरवरी, 2022 तक Fisheries, Animal Husbandry & Dairy मंत्रालय के साथ मिलकर DFS ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान " District Level Special KCC Saturation शुरू किया है। उन्होने अभियान के SOP के अनुसार सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित करने हेतु सभी बैंकों से अनुरोध किया तथा केसीसी आवेदनों को स्वीकार करने से पहले उसकी उचित जांच की जाए और 15 दिनों के भीतर सभी पात्र आवेदनों का निस्तारण किया जाए, जैसा कि DFS द्वारा सूचित किया गया है।

- जहां तक प्रमुख संकेतकों की बात है, तो हम Deposits, Credit, Priority Sector lending, MSME, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य मानकों के तहत हुई प्रगति पर इस बैठक के दौरान चर्चा करेंगे । हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सितंबर, 2021 तक राज्य का CD Ratio 83% से अधिक रहा, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के बेंचमार्क से काफी ऊपर है. एक और उत्साहजनक संकेत यह है कि ACP 2021 के तहत प्राप्त उपलब्धि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य से 52% से अधिक रही है.

निम्नलिखित प्रकरणों जिनका निस्तारण राज्य सरकार के स्तर से किया जाना है एवं काफी लम्बे समय लम्बित है अतः उन्होने माननीय मुख्यमंत्री से सहयोग करने के लिए अनुरोध किया :

- विभिन्न जिलों में RSETI के लिए भूमि आवंटन का मामला राज्य सरकार विभिन्न स्तरों पर लगभग 7-8 वर्षों से लंबित है। अतः उन्होने पुनः अनुरोध किया कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द निपटान किया जाए।

- Rajasthan Agricultural Credit Operations (Removal of Difficulties) Act, 1974 (RACO-ROD Act) के तहत लगभग राशि रु. 3,000 करोड़ 1.35 लाख RODA मामले जिला/ ब्लॉक स्तर पर लंबित हैं, जिनमें से रू. 1700 करोड़ से अधिक की राशि के 80000 से अधिक मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। इस संबंध में सभी बैंकों को अपने NPA वसूली के प्रयासों में आवश्यक सहयोग की आवश्यकता है ताकि बैंकों द्वारा कृषि ऋण प्रवाह में प्रोत्साहन प्राप्त हो सके ।

- एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिसमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, वह जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा SARFAESI अधिनियम के मामलों में अनुमति देने में असामान्य देरी होने का है। इस संबंध में, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने सभी जिला कलेक्टर को निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों का निपटान करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी भी राज्य में 238 करोड़ रूपये से अधिक की राशि के 986 मामले जिला अधिकारियों के स्तर पर लंबित हैं।

- बैंक शाखा परिसर में Glow Sign Board प्रदर्शित करने पर लगने वाले शुल्क में छूट का मामला लगभग 3-4 वर्ष से स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर विचाराधीन है। अतः इस संबंध में भी उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इसका निपटान शीघ्र किया जाए।

अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले, उन्होने राज्य में विकास के लक्ष्य को हासिल करने में समन्वय हेतु राज्य सरकार, RBI, NABARD, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रति आभार व्यक्त किया व सभी से अनुरोध किया कि हमेशा सतर्क रहें और सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने के लिए सभी सावधानियां बरतें तथा सभी को सुखद और मंगलकारी नववर्ष 2022 की शुभकामनाएँ दी।

शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने श्री आलोक सिंघल, सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान से बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ करने के निर्देश प्रदान किए।

श्री आलोक सिंघल, सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति पश्चात उन्होने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

<u>एजेण्डा क्रमांक -1</u> (1.1) विगत **150**वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के लिए सदन से अनुरोध किया एवं सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 2</u>

<u>Revamp of Lead Bank Scheme</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 151वीं बैठक के कार्यबिन्दु तैयार करने हेतु स्टियरिंग समिति की 15वीं बैठक दिनांक 15.12.2021 को आयोजित की गयी।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उपसमितियों के आयोजन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

उपसमिति	**बैठक की दिनांक**
1. वित्तीय समावेशन	24.11.2021
2. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना	25.11.2021
3. एसएचजी/जेएलजी/एफ़पीओ	25.11.2021
4. कृषि योजनाओं से संबन्धित	30.11.2021
5. एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन	03.12.2021
6. डिजिटल भुगतान	07.12.2021
7. एसएलबीसी वेबसाइट पर डेटा प्रवाह के लिए मानकीकृत प्रणाली का विकास	07.12.2021
8. बकाया ऋण वसूली	24.12.2021

<u>एजेण्डा क्रमांक - 3</u>

<u>Key Business Parameters</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने राज्य के बैंकिंग के प्रमुख पैरामीटर के बेंचमार्क के सापेक्ष उपलब्धियों के बारे में सदन को निम्नानुसार सूचित किया:

दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक राज्य में कुल 8194 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 30 सितम्बर, 2021 तक बैंकों द्वारा कुल 31 शाखाएं खोली गयी हैं।

राज्य में समस्त बैंकों का साख जमा अनुपात 83.51% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क 60% से काफी ऊपर है। कुल अग्रिमों के अनुपात में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम 64.64% (भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क 40% वाणिज्यिक बैंक व 75% आरआरबी व एसएफ़बी से काफी ऊपर), कृषि क्षेत्र को 29.77% (भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क 18% से काफी ऊपर), एमएसएमई को 25.21%, कमजोर वर्ग को 20.20% (भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क 11% वाणिज्यिक बैंक, एसएफ़बी व 15%

आरआरबी से काफी ऊपर), लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 14.65% तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 12.43% रहा है।

राजस्थान के नजदीकी राज्य उत्तर प्रदेश (51.38%) एवं हरियाणा (67.43%) के 30 सितम्बर, 2021 के साख जमा अनुपात (CD Ratio) के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये। जिसमे राजस्थान का साख जमा अनुपात अच्छा बताया ।

<u>वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) राशि रू 2,10,485 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में सितम्बर, 2021 तिमाही तक राशि रू 1,09,855 करोड़ उपलब्धि रही है जो कि 52.19% उपलब्धि है। कृषि में 53.39%, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र में 59.29% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 24.22% की उपलब्धि दर्ज की गई है। वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 के निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष सितम्बर, 2021 तिमाही तक वाणिज्यिक बैंकों ने 54.43%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 53.57%, सहकारी बैंक ने 41.60%, स्माल फ़ाइनेंस बैंकों ने 29.86% की उपलब्धि दर्ज की है। कुल उपलब्धि 52.19% है जो कि संतोषजनक है।

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि एनआरएलएम योजनांतर्गत दिनांक 30.11.2021 तक राज्य में 538 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) एवं 17,883 ग्राम संगठन (VO) कार्यरत है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत वर्ष 2021-22 के 80,000 एसएचजी वित्त पोषित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 41,460 एसएचजी वित्त पोषित किए गए है जो कि 51.83% उपलब्धि है। उन्होने सभी बैंकों से आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

<u>PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पीएम-स्वनिधि योजना के तहत राज्य में 1,95,000 के लक्ष्य के सापेक्ष 75,575 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें रु. 55.85 लाख वितरित किए गए हैं। राज्य में कुल स्वीकृत किए गए आवेदन में से 94.52% सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 0.82% निजी क्षेत्र के बैंकों, 4.12% ग्रामीण बैंकों, 0.54% स्माल फ़ाइनेंस बैंकों के द्वारा किए गए है।

Bank wise PM-SVANidhi progress as on 14 12 2021										
Sr. No.	Bank Name	Target alloted by DFS (Loan Disbursement) UPTO 31.03.2022	Total Sanctioned	Sanctioned but pending for Disbursement	Pending for Sanction	Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in lacs)	Pending	Returned	% Sanctioned against Targets
A	PUBLIC SECTOR BANK	115596	70112	6844	9975	63268	52.54	47	33092	60.65
B	PRIVATE SECTOR BANK	48844	2189	1638	2284	551	0.43	66	1314	4.48
C	REGIONAL RURAL BANK	17150	2887	126	323	2761	2.53	13	3667	16.83
D	SMALL FINANCE BANK & OTHERS	13410	387	32	330	358	0.35	2681	290	2.89
Grand Total		195000	75575	8640	12912	66938	55.85	2807	38363	38.76

उन्होने विशेष कर निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ अन्य समस्त बैंकों से आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : निजी क्षेत्र के बैंक एवं अन्य समस्त सदस्य बैंक)

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने पीएमईजीपी योजनान्तर्गत दिनांक 16.12.2021 तक की प्रगति के बारे में निम्नानुसार सदन को सूचित किया :

- राज्य में समस्त बैंकों को आवंटित लक्ष्य राशि रू 80.94 करोड़ (मार्जिन मनी) के सापेक्ष दिनांक 16.12.2021 तक राशि रू 47.32 करोड़ (Disbursement) उपलब्धि रही है जो कि 58.47% है।

Bankwise PMEGP progress as on 16.12.2021																(Amt. in Rs. Cr)
Sr. No.	Particulars	FY 2021-22 Targets	Forwarded to Bank		Sanctioned by Bank			Margin Money Claimed			MM Disbursed			Rejected		
			No of Prj.	MM Involve	No of Prj.	MM Involve	%	No of Prj.	MM Involve	%	No of Prj.	MM Involve	%	No of Prj.	MM Involve	%
1	Rajasthan	80.94	6036	185.82	1689	56.83	70.22	1243	44.65	55.16	1316	47.32	58.47	2646	70.11	37.73

Top Performing Banks under as on 16.12.2021					Lowest Performing Banks under as on 16.12.2021				
Sr. No.	Banks	Targets FY 2021-22 (Rs. In Crs)	MM Disbursed (Rs. In Crs)	% Ach. Under MM Disbursed	Sr. No.	Banks	Targets FY 2021-22 (Rs. In Crs)	MM Disbursed (Rs. In Crs)	% Ach. Under MM Disbursed
1	BANK OF BARODA	11.17	14.08	126.02	1	ICICI BANK LTD	2.59	0.23	8.72
2	CANARA BANK	4.40	4.40	100.05	2	INDIAN BANK	2.80	0.57	20.38
3	INDIAN OVERSEAS BANK	1.43	1.25	87.63	3	STATE BANK OF INDIA	19.86	5.42	27.29
4	BRKGB	5.14	3.70	72.01	4	RMGB	3.91	1.33	34.14
5	CENTRAL BANK OF INDIA	5.05	3.09	61.26	5	BANK OF MAHARASHTRA	0.95	0.34	35.82
Source: PMEGP Portal									

उन्होने योजनांतर्गत आईसीआईसीआई बैंक (8.72%), इंडियन बैंक (20.38%), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (27.29%), आरएमजीबी (34.14%) एवं बैक ऑफ महाराष्ट्र (35.82%) की प्रगति आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष बहुत कम व असंतोषजनक होने का सूचित किया।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, आरएमजीबी एवं बैक ऑफ महाराष्ट्र)

Mukhya Mantri Laghu Udyog Prothsahan Yojana (MLUPY)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि दिनांक 17.12.2021 तक योजनांतर्गत 7851 ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्रेषित किए है जिनमें से 1922 आवेदन स्वीकृत किए गए है एवं 1350 आवेदन पत्रों में ऋण वितरण किया गया है एवं 5,274 आवेदन पत्र शाखाओं में लंबित हैं।

Bank wise progress under MLUPY as on 17.12.2021

Sr. No.	Particulars	Target	Forwarded (FI)		Sanction (FI)		Disbursement (FI)		Pending (FI)	
			Total Applications	Amount (In Cr)	Total Applications	Amount Sanctioned (In Cr)	Total Applications	Amount Disbursement (In Cr)	Total Applications	Amount (In Cr)
A	Public Sector Bank Total	6291	5898	1540.72	1217	443.50	882	239.88	4278	960.93
B	Private Sector Bank Total	2221	599	670.28	173	222.69	95	81.01	377	397.59
C	Regional Rural Bank Total	1352	1237	172.38	487	90.09	345	57.10	559	44.65
D	Small Finance Bank Total	18	3	0.32	0	0.00	0	0.00	3	0.32
E	Others(RFC, SIDBI) Total	118	114	175.50	45	80.94	28	44.66	57	73.17
Grand Total		10000	7851	2559.20	1922	837.23	1350	422.65	5274	1476.66

उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि शाखाओं में लम्बित आवेदन पत्रों को अतिशीघ निस्तारण कर पोर्टल पर अद्यतन करें एवं आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

Indira Mahila Shakti Udyam Protshan Yojna

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि दिनांक 16.12.2021 तक योजनांतर्गत 7,566 ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्रेषित किए है जिनमें से 407 आवेदन स्वीकृत किए गए है एवं 3,798 आवेदन शाखाओं में लंबित हैं।

Bank wise progress under IMSUPY as on 16.12.2021						Amt. in Crore
Sr. No.	Row Labels	Targets	Forwarded Applications	Sanctioned Applications	Disbursed Applications	Pending Applications
A	Public Sector Bank Total	762	5259	228	67	3136
B	Private Sector Bank Total	70	342	12	2	125
C	Regional Rural Bank Total	159	1897	165	32	514
D	Cooperative Bank Total	7	0	0	0	0
E	Small Finance Bank Total	9	58	2	1	13
F	Others(RFC, SIDBI) Total	0	10	0	0	10
Grand Total		1000	7566	407	102	3798

उन्होने समस्त सदस्य बैंकों से आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

Rajasthan Agro-processing, Agri-business & Agri-exports Promotion Policy, 2019

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 22.12.2021 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Progress of Agro-processing, Agri-business & Agri-export Policy, 2019 as on 22.12.2021					
Sr.No.	Bank Name	Applications Sanctioned	Total Project Cost	Total Loan Amount Sanctioned	Amt. of Subsidy Sanctioned
		No.	(Amt. in Cr)	(Amt. in Cr)	(Amt. in Cr)
1	State Bank of India	160	338.21	186.78	20.12
2	Bank of Baroda	202	355.71	196.37	59.43
3	Bank of India	2	17.10	7.65	0.00
4	Bank of Maharashtra	2	2.23	1.50	0.12
5	Canara Bank	16	31.10	13.33	2.41
6	Central Bank of India	9	14.66	9.46	1.38
7	Indian Bank	5	13.93	8.50	1.54
8	Punjab and Sind Bank	7	25.87	13.92	1.01
9	Punjab National Bank	129	320.56	183.31	23.21
10	UCO Bank	36	59.07	36.29	4.52
11	Union Bank of India	20	68.72	42.73	3.59
A	**Total Public Sector Bank**	**588**	**1247.16**	**699.83**	**117.33**
12	Axis Bank	10	21.66	11.21	2.73
13	HDFC Bank	56	187.35	87.41	6.90
14	ICICI Bank	46	114.61	59.16	4.89
15	Indusind Bank	9	16.93	10.20	1.44
16	Kotak Mahindra Bank	89	221.57	117.90	9.24
17	YES Bank	2	4.66	3.00	0.50
B	**Total Private Sector Bank**	**212**	**566.78**	**288.88**	**25.71**
18	BRKGB	19	25.50	16.09	0.69
C	**Total Regional Rural Bank**	**19**	**25.50**	**16.09**	**0.69**
19	RSCB	115	34.77	27.87	5.90
D	**Total Cooperative Sector Bank**	**115**	**34.77**	**27.87**	**5.90**
20	AU Small Finance Bank Limited	19	36.80	21.00	1.05
E	**Total Small Finance Bank**	**19**	**36.80**	**21.00**	**1.05**
21	Others	13	56.25	28.67	1.10
	Grand Total	**966**	**1967.26**	**1082.35**	**151.77**

उन्होने बैंकों को अच्छी प्रगति के लिए बधाई दी एवं समस्त लम्बित आवेदन पत्रों को निस्तारण करने एवं पात्रतानुसार एआईएफ़ योजना में कवर करने के लिए बैंकों से अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

NPA Position

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सितम्बर, 2021 तिमाही तक कुल अग्रिम राशि रू 4,19,042 करोड़ है तथा कुल एनपीए ऋण राशि रू 18,519 करोड़ है जो कि कुल अग्रिम का 4.42% है. कृषि क्षेत्र में एनपीए 8.38%, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 3.53%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 2.13% एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 5.55% है।

सरफेसी एक्ट, 2002, राको रोड़ा एवं वसूली

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि राज्य में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत दिनांक 30.09.2021 तक कुल 986 प्रकरण राशि रू 238 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 536 मामले राशि रू 135 करोड़ के प्रकरण 60 दिन से अधिक समय से लंबित हैं

राको रोड़ा एक्ट के अंतर्गत कुल 1,35,151 प्रकरण राशि रु 2,928 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 80,752 प्रकरण राशि रु 1,678 करोड़ के 1 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं।

उन्होने राजस्व विभाग से अनुरोध किया कि बैंक ऋण वसूली हेतु लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को लक्ष्य प्रदान करें ।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

R-SETI Building Construction

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने आर-सेटी के भूमि आवंटन के प्रकरण की स्थिति के बारे में निम्नानुसार सदन को सूचित किया :

सवाई माधोपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा) : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ने बताया कि जिला प्रशासन, सवाई माधोपुर के द्वारा वैकल्पिक भूखंड चिन्हिकरण की कार्यवाही की जा रही है। जिला प्रशासन सवाई-माधोपुर के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

अलवर (पंजाब नेशनल बैंक) : यूआईटी, अलवर द्वारा 2500 वर्ग मी. की भूमि पंजाब नेशनल बैंक को आवंटित कर रु 56,56,400/- का डिमांड नोटिस जारी किया गया है. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि यूआईटी, अलवर द्वारा कहा गया है कि रु 56,56,400/-, ले-आउट चार्ज एवं अन्य चार्ज माफ किए जाने पर ही इस मुद्दे पर आगे कार्यवाही की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जालौर (भारतीय स्टेट बैंक) : आरसेटी जालौर को भवन निर्माण हेतु ज़िलाधीश महोदय, जालोर के आदेश क्रमांक/एफ12(3) (5)सार्व/राजस्व/12/88/ दिनांक 08.01.2016 के द्वारा भूमि आवंटन किया गया था. तत्पश्चात दिनांक 23.02.2016 को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था. दिनांक 29.03.2016 को पट्टा जारी होकर, 01.04.2016 को पंजीयन भी करवा दिया गया था. इसके पश्चात 21.07.2016 को श्री मुकेश सुनदेशा ने उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त भूमि पर अपना हक जताते हुए अपील दायर कर दी. तब से आज तक 9 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक लंबित है. आरसेटी के भूमि विवादित होने के कारण आरसेटी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है. इस संदर्भ में ज़िलाधीश, जालौर महोदय को भारतीय स्टेट बैंक के पत्र क्रमांक मा.बै.वि./497 दिनांक 24.10.2018 के माध्यम से आरसेटी जालौर को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया है, जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर से कार्यवाही अपेक्षित है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलेक्टर जालौर को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

सिरोही (भारतीय स्टेट बैंक): ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ने राज्य सरकार ने 2011 में 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवंटित की और निर्माण के बाद, संस्थान स्वयं के भवन से चल रहा है। अब 8,59,320/- रुपये की लेखापरीक्षा मांग के अनुसार, बैंक ने उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका दायर की, राज्य सरकार से कार्यवाही प्रतीक्षित है।

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>पिछली बैठक के एटीआर</u>

बैठक के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि उक्त भूमि आवंटन के मुद्दों के बहुत अधिक समय से लंबित है जिसकी वजह से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि वापस ले ली जावेगी एवं उक्त प्रोजेक्ट बंद होने की संभावना है ।

उन्होने आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार अनुरोध किया कि ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से समन्वय करते हुए आर-सेती भूमि आवंटन के उक्त मुद्दों को जल्द सुलझाने के लिए संबन्धित जिला कलेक्टरों को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>कृषि ऋण रहन पोर्टल</u>

राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने पत्रांक फा/IT/SCR/05/2018/336 दिनांक 04/07/2019 द्वारा सूचित किया है कि किसानो के लिए कृषि ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए "कृषि ऋण रहन पोर्टल" विकसित किया है।

राजस्थान राज्य में कृषि ऋण रहन पोर्टल हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झुंझुनु जिले को चिन्हित किया गया है। साथ ही दिनांक 15.10.2020 से जयपुर जिले में कृषि ऋण रहन पोर्टल एवं ऑटोमेटिक म्यूटेशन का लोकार्पण किया जा चुका है।

आगामी चरण में सम्पूर्ण राजस्थान में उक्त पोर्टल को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है|
बैंकों के मुद्दे:

1. भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण प्रक्रिया के दौरान बैंकों के पक्ष में मौजूदा रहन का हटना।
2. आवेदक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त नहीं होना।
3. मेकर/चेकर आईडी बनाने के लिए एडमिन स्क्रीन पर ऑप्शन नहीं दिखाना अथवा 1-2 दिन बाद दिखना।
4. विभाग स्तर से एडमिन आई0डी0 बनाने में विलम्ब।
5. विभिन्न स्तरों अर्थात तहसील, पटवारी आदि से काफी लंबे समय से लंबित आवेदन।

उन्होने भू-प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार से उपरोक्त मुद्दों को निस्तारण करने हेतु अनुरोध किया

(कार्यवाही : भू-प्रबंधन विभाग, राजस्थान सरकार)

शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने तत्पश्चात श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन किया। उन्होने अपने संबोधन में एसएलबीसी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया जिंहोने COVID-19 के दौरान कड़ी मेहनत की और आवश्यक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर राज्य व देश वित्तीय स्थिरता प्रदान की।

साथ ही उन्होने निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:-

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि में संकुचन हुआ, परंतु वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली छःमाही में आर्थिक वृद्धि दर 13.7% रही है, जो दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत स्थिति में है। साथ ही मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में है और पब्लिक फ़ाइनेंस की स्थिति भी बेहतर है।
- राजस्थान राज्य का साख-जमा अनुपात 83.51% है, जो कि भारत के साख-जमा अनुपात 70% से ऊपर है, जिसके लिए उन्होने सभी बैंकों की सराहना की। राजस्थान राज्य का Credit to GDP अनुपात एवं Deposit to GDP अनुपात अखिल भारतीय स्तर से काफी कम है, अत: बैंकों को Deposit Mobilisation को बढ़ाकर क्रेडिट विस्तार करने की सलाह दी।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

- राजस्थान में बैंकिंग आउटलेट्स प्रति 10,000 जनसंख्या की संख्या उत्तर भारत में सर्वाधिक है, जो राज्य के वित्तीय समावेशन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
- डीसीसी/डीएलआरसी की बैठकों में अधिकतर समय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर चर्चा करने में व्यतीत होता है जबकि इन योजनाओं का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया ऋणों में केवल 0.4% योगदान है। अत: राजस्थान के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुये, सभी जिलों की डीसीसी/डीएलआरसी की बैठकों में सभी क्षेत्रों में क्रेडिट प्रवाह बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

(कार्यवाही: राजस्थान सरकार, एसएलबीसी एवं सभी जिलों के अग्रणी बैंक)

- राज्य के कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में सुधार हेतु राज्य सरकार एवं बैंकों को कुछ सुझाव दिये जिसमें ऋण समीक्षा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह की सिफ़ारिशों को राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना एवं किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाने के लिए बढावा देना, इत्यादि शामिल हैं। राजस्थान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान पिछले कुछ वर्षों से घटता जा रहा है अत: उन्होने इस क्षेत्र में सभी बैंकों द्वारा क्रेडिट प्रवाह को बढ़ाने पर ज़ोर दिया। साथ ही राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि वे उद्योग क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन दें।

(कार्यवाही: राजस्थान सरकार एवं सभी सदस्य बैंक)

- राजस्थान में स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) का क्रेडिट लिंकेज दूसरे राज्यों की तुलना में काफी कम है अत: राज्य में स्वयं सहायता समूह का क्रेडिट लिंकेज कर क्रेडिट प्रवाह बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

- उन्होने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि वे RACO(ROD) एवं SARFAESI अधिनियमों के तहत लंबित वसूली के प्रकरणों में बैंकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें, जिससे कि काफी समय से लंबित इन प्रकरणों का निस्तारण हो सके।

(कार्यवाही: राजस्थान सरकार)

- सहकारी बैंकों के महत्व को बताते हुये राज्य सरकार से इन बैंकों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राजस्थान सरकार)

- राज्य में वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों को निरंतर प्रयास करना चाहिए। राजस्थान एक बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, इसलिए हर जगह Brick & Mortar शाखा खोला जाना संभव नहीं है अत: उन्होनें सभी हितधारकों से डिजिटल बैंकिंग को

ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने हेतु अनुरोध किया, साथ ही इससे उत्पन्न साइबर सुरक्षा के खतरों को भी ध्यान में रखने हेतु अनुरोध किया।

शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर 2022-23 का विमोचन करने हेतु अनुरोध किया।

तत्पश्चात शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने श्री जयदीप श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड को उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया।

श्री जयदीप श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर 2022-23 का विमोचन करने हेतु आभार प्रकट किया व मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन किया।

उन्होने बताया की नाबार्ड, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय ने स्टेट फोकस पेपर में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र के लिए कुल ₹ 2.50 लाख करोड़ की ऋण संभाव्यता का आकलन किया गया है जिसमें से ₹ 1.07 लाख करोड़ (42.8%) कृषि क्षेत्र, 0.39 लाख करोड़ (15.6%) कृषि निवेश ऋण, 0.72 लाख करोड़ (28.8%) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा 0.31 लाख करोड़ (12.4%) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों हेतु अनुमानित है। वर्ष 2021- 22 की 2.33 लाख करोड़ की ऋण संभाव्यता की तुलना में वर्ष 2022-23 की ऋण संभाव्यता 7% अधिक है।

साथ ही उन्होने बताया कि राज्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए, नाबार्ड ने ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (RIDF) के माध्यम से 54,762 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु राशि रू 28,081.62 करोड़ स्वीकृत कर राज्य सरकार को सहायता प्रदान की है। इस निधि से 94,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण, 58 लाख बस्तियों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, 3.00 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता, 4.00 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता नाबार्ड के प्रमुख योगदान है।

उन्होने बताया कि नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण ग्राह्य क्षमता में बढ़ोतरी हेतु किए जा रहे प्रयासों, यथा जनजाति विकास कार्यक्रम, वाटरशेड विकास कार्यक्रम, कृषि तथा कृषीतर क्षेत्रों में उत्पादक संगठनों का संवर्धन, सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम इत्यादि में पूंजी उपलब्ध कारवाई जा रही है।

उन्होनें बताया कि ऐसे क्षेत्रों में जहां नाबार्ड द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए हैं, वहाँ बैंकों के माध्यम से ऋण आपूर्ति में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होने यह आश्वासन दिया कि नाबार्ड राज्य सरकार की योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए राज्य के विकास के लिए सहयोग प्रदान करता रहेगा।

तत्पश्चात शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा को उद्‌बोधन हेतु आमंत्रित किया।

प्रमुख शासन सचिव वित श्री अखिल अरोरा ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन किया। उन्होने सदन को बताया कि एसएलबीसी, राजस्थान के अध्यक्ष श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री महेंद्र सिंह महनोत, संयोजक, एसएलबीसी एव महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्‌वारा अपने उद्‌बोधन में राज्य में कार्यरत सभी बैंकों कि तरफ से कई मुद्दो यथा आर-सेटी भवन हेतु भूमि आवंटन, बैंक शाखाओं के ग्लो साइनेज बोर्ड पर लगने वाले प्रभार, RACO(RADO) एवं SARFAESI अधिनियम के तहत लंबित वसूली की प्रकरणों की कार्यवाही में तेजी लाने में राज्य सरकार की ओर से सहयोग हेतु अनुरोध किया है। इन सभी मुद्दो पर उन्होंने राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

उन्होने अवगत करवाया कि जिस जिले में आर-सेटी संस्थान के लिए भूमि आवंटन नहीं हुआ है उन जिलों में प्रशासन के पास उपलब्ध कोई भी भवन यथा आईटीआई कॉलेज, विध्यालय इत्यादि के खाली भवन को आर-सेटी संस्थान के उपयोग में लिया जा सकता है व इसके लिए राज्य सरकार या जिला प्रशासन न्यूनतम किराया / किराया मुक्त भी उक्त भवन को संबन्धित बैंक को उपलब्ध करवाने पर विचार किया जा सकता है।

उन्होने राज्य में सभी बैंकों का साख जमा अनुपात, जो राष्ट्रीय साख जमा अनुपात से अधिक है इसके लिए सभी बैंकों को बधाई दी।

उन्होने कोरोना काल में छोटे छोटे उद्‌यमियों यथा ठेले वाले, रेहड़ी, मोची, नाई इत्यादि का रोजगार छिन गया है उनके पुनर्वास के लिए एवं बेरोजगार युवकों के स्वरोजगार के लिए राजस्थान सरकार द्‌वारा इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लॉच की है । लेकिन योजना के तहत अपेक्षित प्रगति नहीं होने से उन्होने चिन्ता व्यक्त की । उन्होने सभी बैंकों को इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरित करने के लिए अनुरोध किया व बैंकों द्‌वारा दिया जाने वाला रु. 50000/- तक के शिशु श्रेणी के मुद्रा ऋण के लाभार्थियों को इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज अनुदान हेतु शामिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार में विचाराधीन है ।

उन्होने बताया कि प्रदेश में 80 हजार ई-मित्र, 23 हजार राशन डीलर्स तथा करीब 20 हजार डेयरी बूथ हैं एवं नीति आयोग द्‌वारा सर्विस डिलेवरी में हमारे राज्य को सर्वोच्च पद प्रदान किया है । इन्हें बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट (BC) के रूप में चिन्हित कर प्रदेश के कोने-कोने तक बैंकिंग सुविधाओं को आसानी से

पहुंचाया जा सकता है। साथ ही उन्होने डिजिटल गवर्नेंस एवं डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया ।

उन्होने बताया कि राज्य के किसी भी गाँव/पंचायत में ब्रिक व मोर्टर ब्रांच /एटीएम/ बीसी इत्यादि खोलने हेतु राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का परिसर प्रयोग लिया जा सकता है इसके लिए पूर्व में ही निर्देश जारी किए जा चुके है यदि किसी बैंक को परेशानियों का सामना करना पड रहा है तो जिला प्रशासन से सम्पर्क कर सकता है । उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण लेने के लिए आने वाले लोगों के लिए 'वन स्टॉप शॉप' की तर्ज पर एक पोर्टल शुरू करने का सुझाव दिया ताकि ऋण लेने वालों को आसानी हो व प्रति ऋण खाता औसत को भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में इंडस्ट्री/ उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु आगामी जनवरी माह में “Invest Rajasthan” का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश-विदेश के बड़े उद्योगों से राज्य सरकार के एमओयू होने की संभावना है । जिसमे सभी बैंकों से सहभागिता करने हेतु अनुरोध किया।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का प्रथम कृषि आधारित बजट माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया जाने का प्रस्ताव है । इस हेतु सभी बैंकों से बजट में शामिल करने हेतु सुझाव भेजने हेतु अनुरोध किया।

शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से अनुरोध किया कि वो सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण का सांकेतिक चेक वितरण कर सदन को अनुग्रहित करें व अपने उदबोधन से सदन को मार्गदर्शन प्रदान करें।

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा निम्नानुसार सांकेतिक चेक वितरण कर सदन को अनुग्रहित किया :

- बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एनआरएलएम योजना के तहत महिला स्वंय सहायता समुह (राजीविका) को राशि रू 11 करोड़ का सांकेतिक चैक श्री मति सुमेर कंवर एवं श्रीमति ज्योति को प्रदान किया।
- बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एमएसएमई ऋण योजना के तहत तिब्बती शरणार्थी Mr. Tsering Dorjee, Ms. Lhamo एवं Mr. Karma Phunstok को राशि रू 11 करोड़ का सांकेतिक चैक प्रदान किया गया जिनको पत्रतानुसार मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत कवर किया जायेगा ।
- यूको बैंक द्वारा इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत श्री विककी स्वामी एवं श्री आजाद दोनों को राशि रू 50,000 करोड़ का सांकेतिक चैक प्रदान किया ।

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सर्वप्रथम आज कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति 151वीं बैठक में आमंत्रित करने हेतु धन्यवाद दिया व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य

प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों की ओर से जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं उन्हें क्रियान्वित कर राज्य में लागू करने हेतु आश्वस्त किया ।

उन्होने बताया कि आमजन को राहत प्रदान करने एवं विकास की गति को बनाए रखने के लिए पिछले तीन वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। साथ ही उन्होने बताया कि सरकारी योजनाओं में बैंकों व नाबार्ड कि महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राज्य में इंडस्ट्री / उद्योगों में पूंजी प्रवाह को बढ़ाने हेतु राज्य सरकार की टीमे आगामी माह में विभिन्न राज्यों के दौरे पर जा रही है।

उन्होने बताया कि कोरोना काल के आर्थिक संकट में ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा योजना ने लोगों को काफी संबल दिया। शहरी क्षेत्र में ऐसी योजना नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ की है। योजना के तहत युवाओं को रोजगार / स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 50 हजार रूपए का ऋण बिना ब्याज का उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के साथ ही इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य योजनाओं से जुड़े लोगों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंक आगे बढ़कर सहयोग करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

उन्होंने निम्नानुसार सदन को अवगत करवाया :

- राज्य में उनकी सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों का ऋण माफी के आदेश जारी कर कुल राशि रू 14 हजार करोड़ का सहकारी बैंकों का कर्ज माफ किया गया जिसमें पिछली सरकार द्वारा माफ किया गया बकाया ऋण राशि रू 6 हजार करोड़ भी सम्मिलित है।
- राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 30 नवम्बर, 2018 को गैर निष्पादित (NPA) घोषित राष्ट्रीयकृत, आरआरबी, निजी क्षेत्र के बैंकों के संकटग्रस्त कृषक खातों के कर्ज माफ किए जाने शेष हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा हाल ही में गैर-निष्पादित श्रेणी (NPA) के कृषि ऋणों के लिए एकमुश्त ऋण समझौता योजना (OTS) लॉच की है । जिसमें कृषक द्वारा आवेदन करने पर कुल बकाया ऋण राशि का 90 प्रतिशत ऋण एसबीआई द्वारा त्याग (Waive) किया जा रहा है जबकि शेष 10 प्रतिशत ऋण राशि का हिस्सा कृषक द्वारा जमा किया जा रहा है। इस तरह से पूर्ण ऋण का समझौता किया जा रहा है ।
- राज्य सरकार एवं बैंकों का उद्देश्य किसानों को उन्नत करना है अतः उन्होने भारतीय स्टेट बैंक की कृषि ऋण की एकमुश्त ऋण समझौता योजना (OTS) की तर्ज पर अन्य बैंकों को भी योजना बनाने के लिए आहवान किया जिसमें कृषकों के हिस्से की बकाया राशि का 10 प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा वहन की जाएगी एवं बैंकों द्वारा बकाया राशि का 90% त्याग (Waive) किया जाए एवं समस्त बैंकों से उक्त आहवान पर विचार कर राज्य सरकार को सूचित करने के निर्देश प्रदान किए ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

बैठक के अंत में शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं केंद्र व राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही बैठक में सभी मुद्दों पर हुई सार्थक चर्चा पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा ।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 151वीं बैठक माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत की गरिमामयी उपस्थिती में व्यक्तिगत एवं वर्चुअल आयोजित की गई जिसमें बैठक के मुख्य कार्यबिन्दुओं (Agenda) पर चर्चा की गई लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के पास समय अभाव के कारण पूरे कार्यबिन्दुओं चर्चा नहीं हो पाई है ।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 151वीं बैठक के शेष कार्यबिन्दु समस्त हितग्राहियों को प्रसारित (Agenda by Circulation) कर बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की अनुपालना की जा सकें ।

इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 151वीं बैठक के शेष कार्यबिन्दु जिनको हितग्राहियों को प्रसारित (Agenda by Circulation) किया गया है उनका विवरण निम्नप्रकार है:

Key Business Parameters

जमाएँ व अग्रिम: 30 सितम्बर, 2021 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 9.13% के साथ कुल जमाएँ राशि रू 5,11,415 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.90% के साथ कुल ऋण राशि रूपये 4,19,042 करोड़ रहे हैं। जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाइनेंस बैंक की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 8.36%, 11.67%, 3.21% एवं 51.20% रही है तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंक, स्माल फाइनेंस की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 11.30%, 13.61%, 17.11% एवं 17.78% रही है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 सितम्बर, 2021 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 12.01% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रू 2,70,851 करोड़ रहा है।

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 सितम्बर, 2021 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 9.92% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,24,760 करोड़ रहा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को ऋण: 30 सितम्बर, 2021 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 18.27% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 1,05,646 करोड़ रहा है।

अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण : 30 सितम्बर, 2021 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 5.91% के साथ अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 40,445 करोड़ रहा है।
कमजोर वर्ग को ऋण: 30 सितम्बर, 2021 को राज्य में वर्ष दर वर्ष 12.23% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 84,654 करोड़ रहा है।

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 30 सितम्बर, 2021 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 8.89% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 17,533 करोड़ रहा है।

Major Banks having negative or very low growth under Agriculture Sector

राज्य में प्रमुख बैंको में **कृषि क्षेत्र** के तहत मार्च 2020 से मार्च 2021 Y-o-Y व सितम्बर 2020 से सितम्बर 2021 वर्ष दर वर्ष वृद्धि (Y-o-Y) में नकारात्मक वृद्धि अथवा काफी कम वृद्धि प्रदर्शित की है। जो कि निम्न प्रकार है:

बैंक	**वर्ष दर वर्ष वृद्धि (Y-o-Y Growth) मार्च 2020 से मार्च 2021**	**वर्ष दर वर्ष वृद्धि (Y-o-Y Growth) सितम्बर 2020 से सितम्बर 2021**
भारतीय स्टेट बैंक	-7.91	-9.19
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2.11	-6.74
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2.12	2.79
पंजाब नेशनल बैंक	3.82	4.72
यूको बैंक	10.08	4.47
आईडीबीआई बैंक	7.17	-2.68
राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	7.16	2.89

दिनांक 22.09.2021 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के साथ एसएलबीसी के संयोजक की व्यक्तिगत मुलाक़ात के दौरान मुख्य सचिव महोदय ने भारतीय स्टेट बैंक व अन्य बैंकों की कृषि क्षेत्र के तहत नकारात्मक वृद्धि पर नाराजगी जाहीर की व निर्देश दिये की सभी बैंकों द्वारा आगामी तिमाही में कृषि क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की जाए।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक)

Saturation Drive for Jan Suraksha Schemes

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 27.09.2021 द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर जनसुरक्षा अभियान आरंभ किया गया है जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं योजनाओं में 100% संतृप्ति को प्राप्त करना है। उक्त अभियान दिनांक 02.10.2021 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व ग्रामीण बैंकों हेतु प्रारम्भ किया गया है।

संतृप्ति अभियान के तहत दिनांक 15.12.2021 तक की प्रगति इस प्रकार है:

S.No.	Bank Name	PMJJBY				PMSBY				APY			
		Number of Eligible PMJDY A/C Holders	Total Enrolled upto 15.12.2021	% of Ach. Upto 15.12.2021	Pending for Enrolment	Number of Eligible PMJDY A/C	Total Enrolled upto 15.12.2021	% of Ach. Upto 15.12.2021	Pending for Enrolment	Number of Eligible PMJDY A/C Holders	Total Enrolled upto 15.12.2021	% of Ach. Upto 15.12.2021	Pending for Enrolment
1	Bank of Baroda	1221054	156413	12.81	1064641	1579231	467276	29.59	1111955	1061379	45131	4.25	1016248
2	Bank of India	253255	48228	19.04	205027	315933	161552	51.13	154381	200099	10164	5.08	189935
3	Bank of Maharashtra	15002	4401	29.34	10601	19657	4243	21.59	15414	11416	3842	33.65	7574
4	Canara Bank	41254	3694	8.95	37560	58012	11372	19.60	46640	29145	2510	8.61	26635
5	Central Bank of India	185353	13832	7.46	171521	224983	56506	25.12	168477	127248	7679	6.03	119569
6	Indian Bank	151845	5103	3.36	146742	202021	24249	12.00	177772	353866	5386	1.52	348480
7	Indian Overseas Bank	42370	6458	15.24	35912	61916	16771	27.09	45145	29076	15437	53.09	13639
8	Punjab & Sind Bank	15478	1770	11.44	13708	22500	8065	35.84	14435	10244	395	3.86	9849
9	Punjab National Bank	681359	29545	4.34	651814	973498	243334	25.00	730164	480094	8688	1.81	471406
10	State Bank of India	2500831	397375	15.89	2103456	3247824	1239117	38.15	2008707	1995293	74878	3.75	1920415
11	UCO Bank	224250	33370	14.88	190880	301806	67269	22.29	234537	173761	31717	18.25	142044
12	Union Bank of India	94012	9012	9.59	85000	131305	27150	20.68	104155	66633	3298	4.95	63335
14	BRKGB	770018	221235	28.73	548783	1485451	836543	56.32	648908	581322	128160	22.05	453162
15	RMGB	719419	202881	28.20	516538	1049774	414862	39.52	634912	513599	87337	17.00	426262
Total		**6915500**	**1133317**	**16.39**	**5782183**	**9673911**	**3578309**	**36.99**	**6095602**	**5633175**	**419337**	**7.44**	**5213838**

<u>एसएलबीसी की टिप्पणी</u> : वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं योजनाओं में 100% संतृप्ति को प्राप्त करना है। लेकिन प्रगति अपेक्षानुसार नहीं है। अतः बैंकों से अनुरोध है कि कार्ययोजना बनाते हुए सभी ग्राहकों को पात्रतानुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कवर करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

<u>अटल पेंशन योजना</u>

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. जिसका विवरण निम्नानुसार है:

	Progress from 01.04.2021 to 30.11.2021						
	Type of Bank	Name of Banks	No. of Branches	Target (Per Branch)	Total Target	Ach. Up to 30.11.2021	% Ach.
Atal Pension Yojana: DFS, MoF, GoI, vide their letter no. file no. 16/7/2015-PR (PT) dated 08.06.2021 had informed target for the F.Y.2021-22 based on the number of branches of each bank	PSB		4149	70	290430	210416	72.45
	Private	HDFC, Axis, ICICI and IDBI	874	70	61180	5480	8.96
		Other Private Banks	335	30	10050	1835	18.26
	RRB		1561	70	109270	61405	56.20
	Co-Op.		461	20	9220	31	0.34
	Small Finance Bank		221	50	11050	6048	54.73
	State as a Whole		7601		491200	285215	58.06
	* Data received from PFRDA						

राज्य में कुल 4,91,200 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30.11.2021 तक 2,85,215 नामांकन की उपलब्धि है जो कि 58.06% रही है।

<u>पिछली बैठक के एटीआर</u>

पिछले एक वर्ष से ज्यादा समय से निरंतर अनुवर्तन की कार्यवाही के पश्चात भी निम्न बैंकों की जून-2021 तक की प्रगति बेहद चिंतनीय है:

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक - 31 (0.16%), आईसीआईसीआई बैंक - 4469 (15%), एचडीएफसी बैंक - 224 (2%)।

(कार्यवाही: राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक)

District Level Implementation Committee for the Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) within the overall Aspirational Districts Programme (ADP) of NITI Aayog:

एसएलबीसी की टिप्पणी : पिछले एक वर्ष से ज्यादा समय से निरंतर अनुवर्तन की कार्यवाही के पश्चात भी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक द्वारा अटल पेंशन योजना के तहत प्रगति अच्छी नहीं दर्ज कि गई है जिससे राज्य की प्रगति प्रभावित हो रही है अतः वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ठोस कार्ययोजना बनाते हुए लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चत करावें ।

(कार्यवाही : राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक)

आशान्वित जिलों (Aspirational Districts) में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 13.07.2020 से Aspirational Districts Programme (ADP) के तहत में चयनित आशान्वित जिलों में Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) आरंभ किया है।

सभी आकांक्षी जिलों (Aspirational District) की DLIC बैठक निम्नानुसार आयोजित की गई:

- बारां - 06.08.2020, 10.09.2020, 08.10.2020, 12.11.2020, 17.12.2020, 22.01.2021 and 19.02.2021, 17.03.2021, 17.06.2021, 07.09.2021, 27.12.2021 (प्रस्तावित)
- धौलपुर - 25.03.2021, 30.09.2021, 21.12.2021
- जैसलमेर - 19.08.2020, 29.12.2020, 03.04.2021, 29.06.2021, 09.09.2021, 23.12.2021
- करौली - 18.03.2021, 23.06.2021, 09.09.2021, 28.12.2021 (प्रस्तावित)
- सिरोही - 23.09.2021, 29.12.2021 (प्रस्तावित)

राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (NLSC) ने सितंबर, 2021 के अंत तक सभी KPI पर 100% बेंचमार्क हासिल करने का निर्णय लिया है।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक, जैसलमेर, बाराँ, करौली, धौलपुर एवं सिरोही)

प्रत्येक आकांक्षी जिले से आयोजित शिविरों और उसमें किए गए नामांकन के संबंध में डेटा एकत्र करने के लिए डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। केपीआई के तहत प्रगति को अपलोड करने के लिए प्रत्येक आकांक्षी जिले के प्रमुख जिला प्रबंधकों को पोर्टल पर access प्रदान की जा रही है। (https://jansuraksha.gov.in/mis)।

एसएलबीसी द्वारा प्रमुख शासन सचिव (वित्त), राजस्थान सरकार से एसएलआईसी (SLIC) बैठक आयोजित करने के लिए उपयुक्त तिथि और समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है।

<u>एसएलबीसी की टिप्पणी</u> : आशान्वित जिलों (Aspirational Districts) में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) कार्यक्रम के तहत शाखाओं को आवंटित लक्ष्यों का दिनांक 30.09.2021 तक प्राप्त किया जाना अपेक्षित था लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। अतः आशान्वित जिलों की बैंक शाखाओं को आवंटित लक्ष्य अतिशीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करने हेतु सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध है ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

Progress of Digital District Karauli in Rajasthan State

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के महत्वाकांशी जिलों में से एक जिला करौली को 100% डिजिटल बनाने हेतु चिन्हित किया गया है। 100% डिजिटल की करौली एवं राज्य की प्रगति निम्नानुसार है :

Progress of 100 % Digital District - Karauli - Comparision from March 2020 to November 2021

Sr. No.	Months	1. Digital coverage for individuals (Savings Accounts)						Digital coverage for business (Current Accounts)				
		Total No. of Operative SB Accounts	% Debit/ RuPay cards coverage	% Net banking coverage	% of MB/ UPI/ USSD coverage	% AEPS coverage	Total No. of Operative SB Accoutns covered with at lease one of the facilities - Debit/ RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI,	Total No. of Operative CA Accounts	% Net Banking Coverage	% of POS/ QR coverage	% of Mobile Banking coverage	Total No. of Operative Current Accounts covered with at least one of digital modes of payments - Net
1	Mar-20	1453457	67.29	8.25	20.58	-	68.56	12094	20.37	23.26	-	-
2	Mar-21	1390008	86.52	13.57	51.90	96.74	98.59	14773	48.37	43.39	37.79	95.60
3	Jun-21	1394903	88.98	14.38	50.21	95.44	98.97	14404	51.91	43.15	43.99	96.63
4	Sep-21	1437157	92.81	15.30	50.78	95.41	99.35	14531	52.33	54.87	43.13	98.53
5	Nov-21	1437652	93.13	15.55	51.25	95.85	99.78	14476	53.5	55.89	44.76	98.79

Progress of 100 % Digital State - Rajasthan - Comparision from March 2020 to September 2021

Sr. No.	Months	1. Digital coverage for individuals (Savings Accounts)						Digital coverage for business (Current Accounts)				
		Total No. of Operative SB Accounts	% Debit/ RuPay cards coverage	% Net banking coverage	% of MB/ UPI/ USSD coverage	% AEPS coverage	Total No. of Operative SB Accoutns covered with at lease one of the facilities - Debit/ RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI, USSD	Total No. of Operative CA Accounts	% Net banking Coverage	% of POS/ QR coverage	% of Mobile Banking coverage	Total No. of Operative Current Accounts covered with at least one of digital modes of payments - Net Banking, POS, QR etc.
1	Mar-20	72023952	58.51	9.61	15.39	-	63.26	1608216	33.73	8.66	-	-
2	Mar-21	77640877	70.03	14.85	19.25	84.43	88.91	1850073	49.68	11.32	36.02	63.57
3	Jun-21	77933453	71.30	15.49	20.5	83.79	88.68	1917645	52.19	10.44	36.26	64.73
4	Sep-21	78699353	72.13	15.94	21.61	85.03	89.55	1959172	52.07	9.5	39.01	66.31

समस्त बैंकों से अनुरोध है कि जिला करौली को 100% डिजिटल बनाने हेतु कठोर प्रयास करें ।

(कार्यवाही: समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

Identification of Two New Digital District in Rajasthan State

- भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 14.07.2021 द्वारा राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के परामर्श से राज्य में एक या दो अन्य जिलों में भी कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्देश प्रदान किए है।
- उक्त निर्देशों के अनुपालना में राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के परामर्श से एसएलबीसी राजस्थान को 100% डिजिटल जिला कार्यक्रम के लिए दो जिलों यथा **अजमेर एवं धौलपुर** को चयनित किया गया है।
- सभी बैंकों से अनुरोध है कि अजमेर और धौलपुर जिले को शत-प्रतिशत डिजिटल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

Progress of 100 % Digital District - Ajmer

Sr. No.	Months	1. Digital coverage for individuals (Savings Accounts)						Digital coverage for business (Current Accounts)				
		Total No. of Operative SB Accounts	% Debit/ RuPay cards coverage	% Net banking coverage	% of MB/ UPI/ USSD coverage	% AEPS coverage	Total No. of Operative SB Accoutns covered with at lease one of the facilities - Debit/ RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI,	Total No. of Operative CA Accounts	% Net Banking Coverage	% of POS/ QR coverage	% of Mobile Banking coverage	Total No. of Operative Current Accounts covered with at least one of digital modes of payments - Net
1	Sep-21	2341636	62.51	19.77	53.75	74.21	85.93	77779	58.45	26.29	53.76	75.76

Progress of 100 % Digital District - Dholpur

Sr. No.	Months	1. Digital coverage for individuals (Savings Accounts)						Digital coverage for business (Current Accounts)				
		Total No. of Operative SB Accounts	% Debit/ RuPay cards coverage	% Net banking coverage	% of MB/ UPI/ USSD coverage	% AEPS coverage	Total No. of Operative SB Accoutns covered with at lease one of the facilities - Debit/ RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI,	Total No. of Operative CA Accounts	% Net Banking Coverage	% of POS/ QR coverage	% of Mobile Banking coverage	Total No. of Operative Current Accounts covered with at least one of digital modes of payments - Net
1	Sep-21	1291355	70.36	32.89	47.37	84.98	92.69	9208	54.35	21.21	49.89	64.13

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति

वार्षिक साख योजना के तहत राज्य के औसत से कम उपलब्धि वाले बैंक यथा पंजाब एंड सिंध बैंक (10.25%), यूको बैंक (25.45%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (25.77%), एयू स्माल फ़ाईनेन्स बैंक (27.04%), यस बैंक (33.24%), केनरा बैंक (36.22%), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (37.01%) है। उक्त बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए समस्त बैंकों से अनुरोध है।

(कार्यवाही : पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एयू स्माल फ़ाईनेन्स बैंक, यस बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत के लक्ष्य 4,000 व्यक्तियों, 233 समूहों एवं 2632 स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 23.11.2021 तक उपलब्धि क्रमशः 1056, 68 एवं 131 रही है। लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को नहीं प्रेषित किए है।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि योजनांतर्गत गुणवत्ता वाले आवदेन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें एवं एक शाखा में समान प्रकार के व्यवसाय आवेदन पत्र प्रेषित नहीं करने हेतु समस्त फील्ड अधिकारियों को निर्देशित करें एवं बैंक शाखाओं को पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्रेषित करें।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

Special Central Assistance Scheme SC/ST

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 11,850 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30.11.2021 तक मात्र 2062 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 17.40% उपलब्धि है।

एसएलबीसी की टिप्पणी : वित्तीय वर्ष 2021-22 के लगभग तीन तिमाही व्यतीत होने के पश्चात भी एससी/एसटी पॉप योजना के तहत बहुत ही नगण्य प्रगति है अतः अतः वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ठोस कार्ययोजना बनाते हुए लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चत करने हेतु समस्त बैंक शाखाओं को निर्देशित करने हेतु समस्त सदस्य बैंकों से अनुरोध है ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में दिनांक 11.12.2021 तक 8,38,376 खातों में कुल 6,601 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 59.30% है। दिनांक 11.12.2021 तक श्रेणीवार प्रगति निम्नानुसार है :

[Amount Rs. in Crore]

Sr No	Bank Name	Shishu (Loans up to Rs. 50,000)			Kishore (Loans from Rs. 50,001 to Rs.			Tarun (Loans from Rs. 5.00 to Rs.			Total		
		No Of A/Cs	Sanction Amt	Disbursement Amt	No Of A/Cs	Sanction Amt	Disbursement Amt	No Of A/Cs	Sanction Amt	Disbursement Amt	No Of A/Cs	Sanction Amt	Disbursement Amt
1	Public Sector Banks	78872	142.39	130.99	46223	1197.75	1117.1	18921	1696.7	1620.02	144016	3036.85	2868.11
2	Private Sector Banks	510146	1323.05	1323.01	96550	1104.61	1104.03	6538	385.93	385.23	613234	2813.59	2812.27
3	Regional Rural Banks	2638	8.91	8.51	13302	193.02	176.22	298	23.59	22.05	16238	225.52	206.77
4	Small Finance Banks	46400	160.52	160.52	16638	249.89	249.89	1850	114.52	114.52	64888	524.94	524.94
	Grand Total	**638056**	**1634.87**	**1623.03**	**172713**	**2745.27**	**2647.24**	**27607**	**2220.74**	**2141.82**	**838376**	**6600.9**	**6412.09**

एसएलबीसी की टिप्पणी : वित्तीय वर्ष 2021-22 के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाते हुए लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समस्त बैंक शाखाओं को निर्देशित करने हेतु समस्त सदस्य बैंकों से अनुरोध है।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

Stand Up India Scheme (SUI) for F.Y. 2021-22

स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दिनांक 30.11.2021 तक राज्य में 5,675 आवेदनों में राशि रु. 1,293.87 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए व वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 30.11.2021 तक 551 आवेदन स्वीकृत किए गए एवं राशि रु. 141.45 करोड़ के ऋण वितरित किए गए जो कि बेहद कम प्रगति है। समस्त बैंकों से अनुरोध है कि उनके अधीन समस्त शाखाओं को निर्देशित करें कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

एसएलबीसी की टिप्पणी : स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत राज्य की प्रगति असंतोषजनक है अतः आवंटित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाते हुए लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समस्त बैंक शाखाओं को निर्देशित करने हेतु समस्त सदस्य बैंकों से अनुरोध है।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS - 20%)

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के तहत दिनांक 30.11.2021 तक की एजेन्सीवार प्रगति निम्नानुसार अवगत करवाया:

Performance under Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) under MSME Package of GoI as on 30.11.2021

Amt in Cr

Sr. No.	Banks	Total MSME o/s of Major Banks as on 29.02.2020		Eligible Accounts of MSME		20% of eligible amt.	Cumulative Sanction progress		Cumulative Disbursement upto		% Sanction against eligbile amount	% Disbursement against eligbile amount
		A/C	AMT	A/C	AMT	AMT	A/C	AMT	A/C	AMT		
1	Public Sector Bank	343973	34939	207778	23715	4743	119780	3596	86461	3039	75.82	64.07
2	Private Sector Bank	449581	27129	198960	23747	4749	61747	4730	24974	3893	99.59	81.96
3	Regional Rural Bank	85409	1490	37396	661	132	1379	138	1379	138	104.23	104.23
4	Small Finance Bank	135775	7529	118431	7225	1445	16279	427	12720	354	29.58	24.51
	Total	**1014738**	**71087**	**562565**	**55348**	**11070**	**199185**	**8891**	**125534**	**7424**	**80.32**	**67.06**

NSGTC द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को revised परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने योजना की वैधता अवधि 31 मार्च, 2022 तक या एनसीजीटीसी द्वारा जारी कि गई गारंटी राशि रु. 4.50 करोड़ जो भी पहले हो।

एसएलबीसी की टिप्पणी : आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के तहत पात्र इकाइयों को कवर करने के लिए सभी बैंकों से अनुरोध है ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

District Level Special KCC Campaign for Animal Husbandry and Fisheries Farmers

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत वर्ष में डेयरी कृषकों को संतृप्ति स्तर तक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 15 नवम्बर 2021 से 15 फरवरी, 2022 तक तीन माह का राष्ट्रव्यापी डेयरी/फिशरीज़ केसीसी संतृप्ति अभियान चलाया गया है।

अतिरिक्त सचिव (एफआई), वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 3/25/2021-एसी दिनांक 05.11.2021 ने साप्ताहिक शिविर आयोजित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :

- एसओपी (SOP) के अनुसार शिविर के दौरान प्राप्त किए गए आवेदनों की जांच जिला स्तर पर गठित एक केसीसी समन्वय समिति द्वारा किया जायेगा।

- प्रत्येक जिले में उक्त अभियान हेतु गठित समन्वय समिति जिला मजिस्ट्रेट के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करेगी।

- एसएलबीसी, राजस्थान ने पत्र सं. JZ:SLBC:2021-22:1610 दिनांक 06.11.2021 से सभी सदस्य बैंकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों को एसओपी परिचालित किया है।

- एसएलबीसी ने सभी सदस्य बैंकों से अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए शाखाओं को निर्देश देने और पशुपालन और मत्स्य पालन के तहत पात्र किसानों को केसीसी की निर्बाध प्रसंस्करण और मंजूरी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

- एसएलबीसी ने सभी एलडीएम से जिला स्तर के शिविरों के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन और शाखाओं के संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने और उपयुक्त रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से जिले की प्रगति की निगरानी करने और वित्तीय सेवा विभाग, वित्तीय मंत्रालय, भारत सरकार को रिपोर्टिंग प्रेषित करने के लिए शाखाओं से डेटा एकत्र करने का अनुरोध किया है।

- सचिव, पशुपालन, राजस्थान सरकार ने पत्र दिनांक 24.11.2021 के माध्यम से अभियान अवधि के दौरान पशुपालन किसानों को 16.00 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का जिलावार लक्ष्य आवंटित किया। एसएलबीसी द्वारा समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों को उक्त लक्ष्य साझा कर दिए गए है एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा उक्त लक्ष्य बैंक शाखाओं को आवंटित किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक 17.12.2021 तक पशुपालन व मत्स्य पालन के तहत प्रगति निम्न प्रकार है:

Rajasthan_Bank wise Progress under KCC Campaign for Animal Husbandry as of 17.12.2021

Sr. No.	Bank Name	No. of Applications During the Week ended 17.12.2021				Cumulative No. of Applications			
		Received	Accepted	Sanctioned	Rejected	Received	Accepted	Sanctioned	Rejected
A	All Banks Total	8510	6907	2305	217	18239	16463	5009	707

Rajasthan_Bank wise Progress under KCC Campaign for Fisheries as of 17.12.2021									
Sr.	Bank Name	No. of Applications During the Week ended 17.12.2021				Cumulative No. of Applications			
		Received	Accepted	Sanctioned	Rejected	Received	Accepted	Sanctioned	Rejected
A	All Banks Total	12	12	0	2	206	195	16	52

<u>एसएलबीसी की टिप्पणी</u> : पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार, राजस्थान राज्य में दुग्ध संघ में पंजीकृत डेयरी किसानों की संख्या 8.25 लाख है।

समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसओपी (SOP) के अनुसार केसीसी संतृप्ति अभियान आयोजित करना सुनिश्चित करें एवं लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि की निगरानी सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही : समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक)

समस्त बैंकों से अनुरोध है कि शाखाओं को निर्देशित करें कि केसीसी संतृप्ति अभियान के तहत डेयरी/फिशरीज़ की प्राप्त आवेदन पत्रों अतिशीघ्र निस्तारण करवाना सुनिश्चित करवाना करें एवं आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)</u>

राजस्थान सरकार द्वारा पत्रांक प. 1(3) कृषि-1/एम.सी./2021 दिनांक 17.06.2021 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खरीफ 2021 व रबी 2021-22 मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी है। जो कि राजस्थान के 33 जिलों मे क्रियान्वित की गई। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में फ़सली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवम बंटाईदार कृषको द्वारा फसलों का बीमा किया गया है। पीएमएफ़बीवाई रबी 2021 के अंतर्गत दिनाँक 15.12.2021 तक केंद्रीय पोर्टल पर अद्यतित कृषक आंकड़ों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Particulars	Rabi - 2021-22
Loanee Application Count	0.39 Cr.
Non Loanee Application Count	0.01 Cr.
Total Sum Insured	6,229 Cr.
Total Area Insured	11.24 Lakh Hect.
Total Farmer Share	106.56 Cr.
Gross Premium	714.99 Cr.

आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने पत्रांक F.6(III) CAg. /CI/PMFBY/NCIP/20 ( )2021/5879-5891 दिनांक 22.11.2021 एवं F.6(III) CAg. /CI/PMFBY/NCIP/20 ( )2021/5896-908 दिनांक 23.11.2021 (संलग्न) के माध्यम से निर्देशित किया है कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अन्तर्गत रबी 2021-22 हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल फसल बीमा पॉलिसियों के सृजन हेतु दिनांक 10.11.2021 से प्रारम्भ हो चुका है। लेकिन राज्य के समस्त जिलों के बैंकर्स द्वारा पॉलिसी सृजन का कार्य मे अपेक्षित प्रगति नहीं है |

एसएलबीसी राजस्थान द्वारा पत्र दिनांक 23.11.2021 के माध्यम से सदस्य बैंकों से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के संबंध में सभी शाखाओं/field functionaries को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें तथा रबी 2021-22 मौसम हेतु पॉलिसी सृजन का कार्य अंतिम तिथि से पूर्व ही पूर्ण करवाते हुए कृषक प्रीमियम की कटौती की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

<u>कृषि विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी</u> : रबी 2021-22 में फसलों के बीमा का कार्य निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए :

- रबी 2021-22 सत्र चालू है। सभी बैंकर्स को निर्देशित किया जाना है कि जो किसान फसल बीमा कराना चाहते है उनका कृषक प्रीमियम दिनांक 31.12.2021 तक किसानों के खाते से आवश्यक रूप से डेबिट कर लिया जायें।

- कृषक फसल बीमा प्रीमियम अंतिम तिथि 15.01.2022 से पूर्व ही संबन्धित बीमा कंपनी को Pay gov के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करवाया जाये।

- जिन कृषकों का विवरण राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर दर्ज हुआ है उन्ही कृषक को फसल बीमा का लाभ प्राप्त हो सकेगा अतः सभी बैंकों को निर्देशित किया कि कृषक का सही विवरण (कृषक नाम, पटवार, फसल, क्षेत्रफल, आधार विवरण, बैंक के एकीकरण की दशा में नवीनतम IFSC Code इत्यादि) निर्धारित समयावधि (दिनांक 15.01.2022 तक) आवश्यक रूप से सही कराई जावें। उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।

- जो बैंक पात्र ऋणी कृषकों, जिन्होंने opt Out नहीं किया है की फसल बीमा पॉलिसी नहीं बनायेंगे तो जो भी बीमा क्लेम बनेगा, उसे संबंधित बैंक शाखा उन संबंधित किसानों को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगे।

- विभाग को अवगत हुआ है कि बैंकर्स द्वारा खरीफ 2021 में कृषकों की पॉलिसियां बनाते समय गैर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि पर भी फसल बीमा पॉलिसिया बनाई जा रही है। अतः रबी 2021-22 हेतु पॉलिसी सृजन के समय किसानों की जमाबन्दी की गहन जाँच उपरान्त नियमानुसार एवं योग्य भूमि पर ही पॉलिसियों का सृजन किया जाये।

- आज दिनांक तक 26.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल बीमित हुआ है जबकि गतवर्ष 40.32 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल बीमित हुआ था।

भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने वाले प्रकरण :

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत गत मौसम सत्रों में समस्या / त्रुटि / गलतियां / चूक होने के कारण अतिरिक्त बीमा दावों के सृजन के निस्तारण हेतु भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्ताव विभागीय प्रपत्र में मय दस्तावेजी सबूत दिनांक 05.01.2022 तक

स्वीकार किये जायेंगे। इसके पश्चात प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

- अब तक 31,103 प्रकरण भारत सरकार की कमेटी में भेजे जा चुके हैं।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

<u>एसएलबीसी की टिप्पणी</u> : रबी 2021-22 मौसम के लिए दिनांक 10.11.2021 से पोर्टल (NCIP) पॉलिसी सृजन के लिए खोला गया है लेकिन ऑनलाइन पॉलिसी सृजन की गति बहुत ही धीमी है जिस पर आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है एवं सूचित किया है कि किसी भी स्थिति में रबी 2021-22 के लिए पोर्टल दुबारा नहीं खोला जाएगा । सभी बैंकों से अनुरोध है कि अंतिम समय का इंतजार नहीं करते हुए दिनांक 31.12.2021 से पूर्व पात्रतानुसार प्रीमियम डेबिट करना सुनिश्चित करें एवं दिनांक 15.01.2022 से पूर्व सभी पात्र कृषकों के आंकड़े पोर्टल पर अद्यतन करवाना सुनिश्चित करावें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

<u>शिक्षा ऋण (Education Loan)</u>

बैंकों द्वारा वर्ष 2021-22 में सितम्बर तिमाही तक राज्य में 6.737 छात्रों को राशि रू 217.27 करोड़ के शैक्षिक ऋण वितरित किए गए हैं जिनमें कुल 42,986 छात्रों पर बकाया राशि रू 2.090.16 करोड़ है।

बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से 2.728 खातों में रु 99.98 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

<u>Doubling of Farmers Income by 2022</u>

केंद्रीय बजट 2016-17 में भारत सरकार ने किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने की घोषणा की थी। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने के कार्यबिन्दु पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उप समिति (कृषि से संबन्धित योजनाओं) की बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी। उप समिति में निम्न सुझाव दिये गए:-

- किसानों को नियमित कृषि गतिविधियों के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्रों जैसे डेयरी, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि हेतु प्रेरित करें।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी योजनाओं यथा डीईडीएस, कृषि व्यवसाय, एग्री क्लीनिक एवं एएमआई योजना इत्यादि।
- मौजूदा केसीसी ऋण धारकों को वर्तमान स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स के अनुसार ऋण प्रदान किया जावे।

- मौजूदा केसीसी ऋण धारकों को पशुपालन एवं मत्स्य पालन की गतिविधियों हेतु ऋण प्रदान किया जावे।
- केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय वृद्धि हेतु निम्नलिखित योजनाएँ चलायी जा रही हैं:-
  1. Rajasthan Agro-processing, Agri-business & Agri-exports Promotion Policy, 2019.
  2. Scheme for formalization of Micro food processing Enterprises (FME).
  3. Agriculture Infrastructure Fund (AIF).

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

कृषि अवसंरचना निधि के तहत दिनांक 18.12.2021 तक बैंकों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Bank wise progress under Agriculture Infrastructure Fund (AIF) as on 18.12.2021

Sr. No.	Bank	Application forwarded to Banks		Application Sanctioned by Banks		Out of Sanctioned App. Approved by Bank & pending for Disb.		Out of Sanctioned App. Disbursed By Bank		Application Pending with Bank		Application Rejected by Bank	
		No.	Amt. (In Cr.)	No.	Amt. (In Cr.)	No.	Amt. (In Cr.)	No.	Amt. (In Cr.)	No.	Amt. (In Cr.)	No.	Amt. (In Cr.)
A	PUBLIC SECTOR BANKS												
1	State Bank of India	129	116.23	81	63.04	7	7.93	74	55.11	15	13.40	33	39.80
2	Bank Of Baroda	136	107.43	124	89.10	19	19.56	105	69.54	2	1.90	10	16.43
3	Bank Of India	8	4.91	7	4.81	6	4.78	1	0.02	0	0.00	1	0.10
4	Canara Bank	12	7.47	10	5.32	1	0.36	9	4.96	0	0.00	2	2.14
5	Central Bank Of India	9	10.08	7	9.40	1	0.50	6	8.90	1	0.53	1	0.15
6	Indian Bank	1	0.71	1	0.71	0	0.00	1	0.71	0	0.00	0	0.00
7	Punjab and Sind Bank	5	9.10	5	9.10	3	7.07	2	2.03	0	0.00	0	0.00
8	Punjab National Bank	106	116.22	85	101.30	37	52.79	48	48.51	17	9.65	4	5.28
9	UCO Bank	18	11.98	13	5.89	1	0.34	12	5.55	2	1.75	3	4.34
10	Union Bank of India	13	17.37	9	12.11	1	1.20	8	10.91	0	0.00	4	5.26
A	**PSB Total**	**437**	**401.51**	**342**	**300.79**	**76**	**94.52**	**266**	**206.26**	**37**	**27.23**	**58**	**73.50**
B	PUBLIC SECTOR BANKS												
11	HDFC Bank	34	68.58	18	9.36	0	0.00	18	9.36	12	58.90	4	0.33
12	Kotak Mahindra Bank	50	55.56	23	18.95	2	2.86	21	16.10	9	15.41	18	21.20
13	YES BANK	4	7.95	1	1.50	1	1.50	0	0.00	2	3.00	1	3.45
14	ICICI Bank	16	27.04	1	1.60	0	0.00	1	1.60	14	23.44	1	2.00
15	IndusInd Bank	2	1.02	2	1.02	0	0.00	2	1.02	0	0.00	0	0.00
16	IDBI BANK	1	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.07
17	Axis Bank	1	2.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.00
B	**PVT TOTAL**	**108**	**162.21**	**45**	**32.42**	**3**	**4.36**	**42**	**28.07**	**37**	**100.75**	**26**	**29.04**
C	REGIONAL RURAL BANKS												
18	BRKGB	2	3.46	1	2.00	0	0.00	1	2.00	1	1.46	0	0.00
C	**RRB Total**	**2**	**3.46**	**1**	**2.00**	**0**	**0.00**	**1**	**2.00**	**1**	**1.46**	**0**	**0.00**
D	COOPERATIVE SECTOR BANKS												
19	RSCB (DCCBs with PACS affiliation)	153	25.87	119	17.42	24	5.87	95	11.55	26	6.09	8	2.36
D	**CO-OP Total**	**153**	**25.87**	**119**	**17.42**	**24**	**5.87**	**95**	**11.55**	**26**	**6.09**	**8**	**2.36**
E	SMALL FINANCE BANK												
20	AU Small Finance Bank	13	12.95	11	9.75	0	0.00	11	9.75	2	3.20	0	0.00
E	**SFB Total**	**13**	**12.95**	**11**	**9.75**	**0**	**0.00**	**11**	**9.75**	**2**	**3.20**	**0**	**0.00**
	RAJASTHAN Total	**713**	**606.00**	**518**	**362.38**	**103**	**104.75**	**415**	**257.63**	**103**	**138.73**	**92**	**104.90**

समस्त बैंकों से लंबित आवेदनों का निस्तारण करने एवं वितरण हेतु अनुरोध है। साथ ही उक्त योजनान्तर्गत प्रगति पोर्टल पर अपलोड करने हेतु भी अनुरोध है।

एसएलबीसी की टिप्पणी : कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत 104 आवेदन पत्र राशि रू 105 करोड़ के ऋण स्वीकृत आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं में ऋण वितरण हेतु लम्बित है अतः उक्त आवेदन पत्रों में पात्रतानुसार ऋण वितरण करवाना सुनिश्चित करावें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM FME Scheme)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरे राष्ट्र में इस योजना को लोकप्रिय बनाने और शाखाओं और अग्रणी जिला प्रबंधकों को प्राथमिकता के आधार पर सभी आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। दिनांक 20.12.2021 तक बैंक वार प्रगति निम्न प्रकार है:

Bankwise progress under PMFME Scheme as on 20.12.2021

Sr. No.	Bank	Total Application forwarded	Application Sanctioned	Application Rejected	Application Pending
		No.	No.	No.	No.
1	STATE BANK OF INDIA	99	7	46	46
2	BANK OF BARODA	90	16	64	10
3	BANK OF INDIA	6	1	5	0
4	CANARA BANK	32	8	22	2
5	CENTRAL BANK OF INDIA	10	1	5	4
6	INDIAN BANK	4	0	3	1
7	INDIAN OVERSEAS BANK	3	1	1	1
8	PUNJAB AND SIND BANK	2	0	2	0
9	PUNJAB NATIONAL BANK	70	12	32	26
10	UCO BANK	16	6	8	2
11	UNION BANK OF INDIA	18	6	7	5
A	**Public Sector Bank Total**	**350**	**58**	**195**	**97**
12	AXIS BANK	2	0	0	2
13	BANDHAN BANK	0	0	0	0
14	HDFC BANK	18	2	4	12
15	IDFC First Bank Ltd	1	0	0	1
16	ICICI BANK	8	1	2	5
17	IDBI BANK	4	0	0	4
18	INDUSIND BANK	1	0	0	1
19	KOTAK MAHINDRA BANK	9	3	0	6
20	YES BANK	1	0	0	1
21	CITY UNION BANK	0	0	0	0
22	CSB BANK LIMITED	3	0	0	3
23	FEDERAL BANK	1	0	0	1
B	**Private Sector Bank Total**	**48**	**6**	**6**	**36**
24	BRKGB	16	3	11	2
25	RMGB	6	0	1	5
C	**Regional Rural Bank Total**	**22**	**3**	**12**	**7**
26	RSCB	3	0	0	3
D	**Cooperative Sector Bank Tota**	**3**	**0**	**0**	**3**
27	AU SMALL FINANCE BANK	5	1	3	1
28	EQUITAS SMALL FINANCE BANI	1	0	0	1
E	**Small Finance Bank Total**	**6**	**1**	**3**	**2**
	Grand Total	**429**	**68**	**216**	**145**

एसएलबीसी की टिप्पणी : पीएम-एफ़एमई योजना के तहत आवेदन पत्रों की रिजेक्शन की दर बहुत ज्यादा है अतः बैंकों से अनुरोध है कि बैंकों शाखाओं को निर्देशित करें कि अतार्किक कारणों से आवेदन पत्रों के रिजेक्ट नहीं करें एवं लम्बित आवेदन पत्रों को अतिशीघ्र निस्तारण करें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

CD Ratio, Review of Districts with CD Ratio below 40% and working of special Sub- Committee of DCC (SCC)

राज्य के समस्त जिलों का साख जमा अनुपात निम्नानुसार है:

100% से अधिक 5 जिलों में, 71%-100% 15 जिलों में,
61%-70% 5 जिलों में, 51%-60% 6 जिलों में,
41%-50% 2 जिले में 40% से कम शून्य जिले में है.

भारतीय स्टेट बैंक का माह सितम्बर 2021 में साख जमा अनुपात 58.56% है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक से बेंचमार्क 60% से कम है ।

एसएलबीसी की टिप्पणी : भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध है कि आगामी त्रैमास के लिए ठोस कार्ययोजना बनाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक से बेंचमार्क 60% साख जमा अनुपात प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक)

पिछली बैठक के एटीआर

दिनांक 30.09.2021 तक भारतीय स्टेट बैंक का CD ratio 58.56% है व कृषि क्षेत्र में मार्च 2021 से सितम्बर 2021 तक वृद्धि नकारात्मक (1.52%) है। इस संबंध में बैंक द्वारा ईमेल दिनांक 06.12.2021 के द्वारा सूचित किया गया है कि कृषि क्षेत्र में मार्च 2021 से नवम्बर 2021 तक 1.46% वृद्धि दर्ज करते हुए कृषि क्षेत्र का बकाया रु. 18066 करोड़ तक पहुँच गया है।

साथ ही कृषि क्षेत्र के तहत अन्य बैंक की मार्च 2021 से सितम्बर 2021 तक वृद्धि इस प्रकार है: बैंक ऑफ महाराष्ट्र (-4.60%), इंडियन ओवरसीज बैंक (10.03%), पंजाब एंड सिंध बैंक (-2.80%), ईक्व्टास स्माल फ़ाइनेंस बैंक (-8.33%).

(कार्यवाही: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ईक्व्टास स्माल फ़ाइनेंस बैंक)

NPA Position

जून 2020 में कुल एनपीए 4.35% था जो कि जून 2021 में 4.42% हो गया है. जून 2020 में कुल कृषि ऋण एनपीए 9.04% था जो कि जून 2021 में 8.38% हो गया है. जून 2020 में कुल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ऋण में एनपीए 3.58% था जो कि जून 2021 में 3.53% हो गया है तथा जून 2020 में कुल प्राथमिकता प्राप्त ऋण में एनपीए 6.02% था जो कि जून 2021 में 5.55% हो गया है।

National Strategy for Financial Education (2020-2025)

- वर्ष 2020-2025 के लिए वित्तीय शिक्षा हेतु दूसरी राष्ट्रीय रणनीति (NSFE) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (NCFE) द्वारा सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों (RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA), DFS और अन्य सरकार के मंत्रालयों एवं अन्य हितग्राहियों (डीएफआई, एसआरओ, आईबीए, एनपीसीआई) के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता (टीजीएफआईएफएल) पर तकनीकी समूह (अध्यक्ष: डिप्टी गवर्नर, आरबीआई) के तत्वावधान में निर्धारित की गयी है। NSFE दस्तावेज़ को FSDC-SC द्वारा 18 जून, 2020 को आयोजित अपनी 24 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।
- NSFE: 2020-2025 जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने के लिए सशक्त बनाकर भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के दृष्टिकोण का समर्थन करने का इरादा रखता है, जो कि उनके पैसे को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और योजना बनाने के लिए आवश्यक हैं।
- निर्धारित रण

- नीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए '5 सी' दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश करता है। '5 सी' सामग्री, क्षमता, समुदाय, संचार और सहयोग हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की लीड बैंक योजना के पुनरुद्धार के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उप-समिति की बैठकों में निम्न एजेंडा बिन्दुओं पर चर्चा की जा चुकी है:

- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम और शाखा नेटवर्क तथा एटीएम का कार्यान्वयन।
- पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और बीसी के नेटवर्क का कार्यान्वयन।
- डिफरेंशियल अप्रोच - FIF By NABARD.
- "भारत नेट" ब्रॉडबैंड का उपयोग करना - जहां कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी या कम कनेक्टिविटी नहीं है।
- बैंक शाखाओं में आधार नामांकन केंद्रों की स्थापना।
- एफएलसीसी शिविरों व आर-सेटी (RSETI) की प्रगति।
- वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) की स्थापना।
- प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमई के विकास हेतु गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के तहत प्रगति।
- राज्य में प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिलों में ऋणों के पुनर्गठन की समीक्षा।
- डब्लूडीआरए द्वारा परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों (एनडब्ल्यूआर) का सुदृढ़ीकरण।
- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को ऋण सहायता।
- दृष्टिबाधित लोगों हेतु शाखाओं में बैंकिंग वातावरण उपलब्ध करवाना।
- छोटे दुकान-मालिकों, खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों/विक्रेताओं के बीच डिजिटल वित्तीय साक्षरता पैदा करने की आवश्यकता।

एसएलबीसी की टिप्पणी : बैठक में निम्नलिखित बैंकों के सक्षम अधिकारियों (राज्य प्रमुख) द्वारा बैठक में सहभागिता नहीं की गई एवं बैठक से पूर्व में राज्य प्रमुख के सहभागिता नहीं करने के भारतीय रिजर्व बैंक एवं एसएलबीसी से अनुमति नहीं ली गई है :

1. बैंक ऑफ इंडिया
2. इंडियन ओवेरसीज बैंक
3. एचडीएफ़सी बैंक
4. कोटक महिन्द्रा बैंक
5. यस बैंक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की टिप्पणी : राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 151वीं बैठक के कार्यबिन्दु समस्त हितग्राहियों को शेष कार्यसूची बिन्दु प्रसारित कर (Agenda by Circulation) बैठक का आयोजन किया गया जिसमें समस्त हितग्राहियों यथा केंद्र व राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सभी बैंकर्स का धन्यवाद ज्ञापित करते है।

****